

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन-3, भोपाल
-आदेश-

भोपाल, दिनांक 16/04/2024


क्रमांक / 1073 / 1638468 / 2023 / 1 / 59 : राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एआईपीजीईटी के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में निम्न आयुष चिकित्सा अधिकारी को पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु संबंधित शैक्षणिक संस्था में प्रवेश दिनांक से 3 वर्ष अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि का अध्ययन अवकाश पैरा-2 में वर्णित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	आयुष चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना स्थान	संस्था का नाम
1	डॉ. उमा कुशवाह, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शा.आयु.औष. खेरियाजागीर, जिला देवास	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय उज्जैन।
2	डॉ. रचना मधुकर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शा.आयु.औष. एवं एच.डब्ल्यू.सी. चांदपुर जिला अलीराजपुर	आयुर्वेद पारूल इन्सिटिट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च बाघोडीया, बड़ोदरा (गुजरात राज्य)

2/ अध्ययन अवकाश की स्वीकृति हेतु शर्तें:-

1. अध्ययन अवकाश के दौरान उक्त चिकित्सक किये गये अध्ययन कार्यों का पूर्ण विवरण अवकाश से वापसी उपरांत विभाग में प्रस्तुत करेंगे।
2. इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि उक्त पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरांत कम से कम 5 वर्ष की शासकीय सेवा (जिसमें 3 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में सेवा शामिल है।) अनिवार्य रूप से पूर्ण करेंगे, अन्यथा अध्ययन अवकाश में देय राशि मय ब्याज के वसूल की जाएगी।
3. अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी निर्देश व शर्तें लागू होंगी।

नोट:- डॉ. रचना मधुकर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शा.आयु.औष. एवं एच.डब्ल्यू.सी. चांदपुर जिला अलीराजपुर को उक्त स्वीकृति राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति के समक्ष जांच के अध्याधीन प्रदान की जाती है।



(रंजना देवड़ा)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग
भोपाल, दिनांक 16/04/2024

पृ. क्र 1074 / 1638468 / 2023 / 1 / 59
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- आयुक्त, आयुष संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उपरोक्त चिकित्सकों से संबंधित चिकित्सालयों/औषधालयों में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
- 3- संबंधित शैक्षणिक संस्थान----- समय-समय उक्त चिकित्सकों की अध्ययन की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
- 4- प्रधानाचार्य, शा. आ. औ. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय 3 जंजैर।
- 5- जिला आयुष अधिकारी,
- 6- जिला कोषालय अधिकारी,
- 7- संबंधित अधिकारी डॉ.
- 8- आदेश नस्ती

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग